

कार्यालय,

अखिल प्राविधिक शिक्षा परिषद,

अन्तर्गत प्रदेश कार्यालय।

संख्या:- प्राविप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

अद्यतन दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय भाव:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु दिल्ली/राज्य स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा परिषद, अखिल अद्यतन से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से अर्थात् संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/परीक्षा अगता वृद्धि सहित अन्तः राष्ट्रीय पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अन्तर्गत में प्रिन्स संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, अखिल अद्यतन द्वारा सत्र 2021-22 हेतु सिन्डिकेट गवर्नर के अधीन पाठ्यक्रम एवं उत्तरी अखिल परीक्षा अगता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2732-DR. M.C.SAXENA POLYTECHNIC, LUCKNOW			
क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0अ0इ0सी0टी0ई0पी0सी0आ0ई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित परीक्षा अगता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित परीक्षा अगता
1	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60
2	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	60	60
3	INFORMATION TECHNOLOGY	60	60
4	CIVIL ENGINEERING	60	60
5	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें:

- संस्था ए0अ0इ0सी0टी0ई0पी0सी0आ0ई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- संस्था अन्तः प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, एक्ट-1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेक्टर-विनियमवली-2016 तथा अन्तः निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क विधायक समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों के अर्थात् पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30100.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों के फार्मैसी पाठ्यक्रम हेतु रु०-

आपका प्रतिकार

(संयुक्त/संयुक्त/संयुक्त कार्यवाही की जायेगी)

(मुनीब कुमार खन्ना)

सचिव

सूचना- प्रसिफ/प्रीचट/सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

परिशिष्ट

प्रधानाचार्य/निर्देशक DR. M.C.SAXENA POLYTECHNIC, LUCKNOW



(मुनीब कुमार खन्ना)

सचिव

कार्यालय:

अधिव. प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ

संख्या- प्राविप/परिषद/सम्बद्धता/2022/7817

लखनऊ: दिनांक: 30/08/2022

:-कार्यालय ताल:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली फार्मरी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु किन्हींमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 10/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता प्रूरी से सम्बन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/पवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मही पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किया जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नोक्त शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित पवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2732-DR. M.C SAXENA POLYTECHNIC

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सीएटी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित पवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित पवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60
3	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	60	60
4	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING	60	60
5	INFORMATION TECHNOLOGY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सीएटी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1992 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992

विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2010 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा वृत्त निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इजीए पाठ्यक्रम हेतु ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹0 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रम (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क (प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा) उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश पेशावी होगे और अदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। वीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु वीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की सर्वोच्चता बरूनी होगी।

- ✓ संस्था में संबन्धित प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित एड्रेस को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निर्देशना एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करवा होगा।
- ✓ संस्थान-उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/विद्यार्थी/अधिनिधायी/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक किया, 30अए, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, 30अए तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30अए द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये साध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इन संबंध में संसद द्वारा स्थापित संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संबन्धित प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वक्त से संबंध में ज्ञा, न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संसद प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को बननी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित क्विज/निर्देशित प्रश्न पत्रों के पूर्व ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा (अथवा उन्हें प्रदेश की (क्विज/निर्देशित के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर) प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत सर्वोच्चतम आदेशों/नियमों का अनुपालन करना साध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, राज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण/अध्यापन हेतु उपयुक्त कालव्यय उपलब्ध करने के साथ रेनिंग सेंटरों के सम्बन्ध में संसद द्वारा आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित ही ले कि संस्था में एकतावित्त/अध्यापित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निर्देशक/समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अधिलेख, भूमि-अवत, कर्तव्य, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को अधिक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य राज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं तथा जाता है तो संस्था की

सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।

✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किया जाने आथवा शर्तों का उल्लंघन किया जाने की स्थिति में नियमनुसार अनुपालनात्मक कार्यवाही की जायेगी।


(पंकज(अरुण) साखन)

सचिव

पृष्ठ सं- प्राविपारिषद् सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक- 30/08/2022

पतिलिपि:-

प्रधानाचार्यनिदेशक DR. M.C.SAXENA POLYTECHNIC


(पंकज(अरुण) साखन)

सचिव